

अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 44 / 2014-15
2. ग्राम : पूनीभीमपट्टी।
3. परगना व तहसील : चाँदा, लम्मुआ
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 4.0335 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के
134.700 कि०मी० से 178.300
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012
2. हिन्दुस्तान
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	1,60,72,390.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	1,21,630.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	4,53,438.00
	योग (रु०)	1,66,47,458.00
	10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)	16,64,746.00
	सम्पूर्ण योग (रु०)	1,83,12,204.00

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 18,31,220.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 72.02 × 40 = 2,880.80

यानि=2,881.00

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-पूनीभीमपट्टी, परगना चाँदा व तहसील लम्बुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-पूनीभीमपट्टी, के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत बारह (12) आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसका नियमानुसार निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 4.0335 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 4.0335 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम-पूनीभीमपट्टी,, परगना चाँदा व तहसील लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 437 रकबा 0.0188हे०, गाटा संख्या 393 रकबा 0.0150हे० व 402 रकबा 0.0022हे० एवं गाटा संख्या 436 रकबा 0.0479हे०, गाटा संख्या 460 रकबा 0.0130हे० गाटा संख्या 468 रकबा 0.0222हे०, गाटा संख्या 469 रकबा 0.0130हे० गाटा संख्या 472 रकबा 0.0401हे० तथा गाटा संख्या 482 रकबा 0.0179हे० कुल भूमि 0.1901हे० में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय यानि परियाकजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 388 रकबा 0.1738 हे०, गाटा संख्या 395 रकबा 0.0262 हे० गाटा संख्या 396 रकबा 0.0274 हे०, गाटा संख्या 389 रकबा 0.0081 हे०, गाटा संख्या 391 रकबा 0.0971 हे०, गाटा संख्या 467 रकबा 0.0651हे० गाटा संख्या 453 रकबा 0.0256हे० गाटा संख्या 461 रकबा 0.0285हे०, गाटा संख्या 462 रकबा 0.7165हे०, गाटा संख्या 448 रकबा 0.0019हे०, गाटा संख्या 473 रकबा 0.0009हे०, गाटा संख्या 471 रकबा 0.0510हे०, 455 रकबा 0.1465हे०, गाटा संख्या 456 रकबा 0.1596हे०, गाटा संख्या 390 रकबा 0.0892हे०, गाटा संख्या 392 रकबा 0.0692हे० गाटा संख्या 399 रकबा 0.1341हे० गाटा संख्या 398 रकबा 0.0104हे० गाटा संख्या 397 रकबा 0.2217हे० गाटा संख्या 457 रकबा 0.2172हे० गाटा संख्या 400 रकबा 0.1839हे० गाटा संख्या 470 रकबा 0.6292हे० गाटा संख्या 454 रकबा 0.1175हे० गाटा संख्या 448/522 रकबा 0.0207हे० एवं गाटा संख्या 492 रकबा 0.6224हे० कुल रकबा 3.8437 हे० में प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बृक्षों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक लम्भुआ, सुलतानपुर कार्यालय से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार लम्भुआ द्वारा संकलित कराते हुए उपलब्ध कराया गया, इस निर्धारित अवधि में कुल 08 विक्रय पत्रों को अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर अन्य नम्बरों के सम्बन्ध में अध्याप्ति निकाय पुनः कार्यवाही करें।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच करायी गयी। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित 08 विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है, इनमें से विक्रय विलेख क्रम संख्या-01 लगायत 08 तक की दरों का बाजार भाव वर्तमान बाजार दर से कम होने के कारण प्रतिनिधि बिक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है, जिस कारण से उपरोक्त विक्रय विलेखों को निरस्त किया जाता है। दर बाजार भाव के अनुरूप न मिलने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी में अंकित उक्त ग्राम के दर का परीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। स्टाम्प डियुटी रेट में ग्राम पूनीभीमपट्टी को सामान्य ग्रामों की श्रेणी में मानते हुए गाटा संख्या 395 रकबा 0.0262हे०, गाटा संख्या 396 रकबा 0.0274हे० व गाटा संख्या 389 रकबा 0.00081हे०, गाटा संख्या 453 रकबा 0.0256हे०, गाटा संख्या 461 रकबा 0.0285हे० गाटा संख्या 448 रकबा 0.0019हे० गाटा संख्या 473 रकबा 0.0009हे० कुल रकबा 0.1186हे० को 0.050हे० तक दर रू० 15,400 के अनुसार तथा गाटा

(04)

संख्या 391 रकबा 0.0971हे0 व गाटा संख्या 467 रकबा 0.0651हे0 गाटा संख्या 471 रकबा 0.0510हे0 गाटा संख्या 390 रकबा 0.0892 गाटा संख्या 392 रकबा 0.0692हे0 गाटा संख्या 398 रकबा 0.0104हे0 गाटा संख्या 448/522 रकबा 0.0207हे0 कुल रकबा 0.4027हे0 को0.050हे0 से 0.100हे0 तक दर रू0 6,500 के अनुसार एवं गाटा संख्या 388 रकबा 0.1738हे0, गाटा संख्या 462 रकबा 0.7165हे0 गाटा संख्या 455 रकबा 0.1465हे0 गाटा संख्या 456 रकबा 0.1596हे0 गाटा संख्या 399 रकबा 0.1341हे0 गाटा संख्या 397 रकबा 0.2217हे0 गाटा संख्या 457 रकबा 0.2172हे0 गाटा संख्या 400 रकबा 0.1839हे0 गाटा संख्या 470 रकबा 0.6292हे0 गाटा संख्या 454 रकबा 0.1175हे0 व गाटा संख्या 492 रकबा 0.6224हे0 कुल रकबा 3.3224हे0 0.100हे0 से अधिक तक दर रू0 3,500 के अनुसार सम्पूर्ण रकबा 3.8437 के अर्जित रकबे के आधार पर अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए निजी भूमि 3.8437 हे0 का अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	1,60,72,390.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रू0)	1,21,630.00
	भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	4,53,438.00
	योग (रू0)	1,66,47,458.00
10	प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रू0)	16,64,746.00
	सम्पूर्ण योग (रू0)	1,83,12,204.00

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर सर्वेक्षण के आधार पर 3.8437 हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 1,60,72,390.00होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रू0 4,53,438.00 होता है तथा वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 1,21,630.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रू0 16,64,746.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 **1,83,12,204.00**(रू0 एक करोड़ तिरासी लाख, बारह हजार, दो सौ चार मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय— कुल अभिनिर्णीत धनराशि रू0 **1,83,12,204.00**पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रू0 **18,31,220.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू राजस्व—800 अन्य प्राप्तियाँ 007—भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य — अर्जित भूमि में भू—राजस्व 72.02 का 40 गुना रूपया 2,881.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

(05)

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 3.8437 हे० भूमि का अभिनिर्णय ग्राम-पूनीभीम पट्टी, परगना चाँदा व तहसील लम्बुआ, में रु० 1,83,12,204.00(रु० एक करोड़ तिरासी लाख, बारह हजार, दो सौ चार मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(राम विलास)

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी, सदर
सुलतानपुर।

सक्षम प्राधिकारी (अपर उप जिलाधिकारी, सदर) महोदय,

कृपया पत्रावली पर दांयी ओर रक्षित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-पूनीभीम पट्टी परगना चाँदा व तहसील लम्भुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर, सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया है, जिसके संबंध में धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है। तदोपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय प्रकाशन कराया गया है। ग्राम में बारह (12) आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तहसील सदर से अंतिम प्रकाशन की तिथि के तीन वर्ष पूर्व के बिक्रय पत्र को उपनिबंधक कार्यालय लम्भुआ से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार लम्भुआ द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार तैयार की गयी अनुसूची-2 दांयी ओर संलग्न है। विक्रय विलेख के अनुसार बाजार भाव स्पष्ट न होने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार दर का निर्धारण दिये गये निर्देश के क्रम में किया गया। सर्वेक्षण में अधिग्रहीत भूमि पर वृक्ष, भवन व अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रभावित हो रही अर्जित भूमि में मालगुजारी रू० 72.02 के कमी की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अतः दिये गये निर्देश के क्रम में आपकी ओर से अभिनिर्णय आदेश कम्प्यूटरीकृत टंकित कर पत्रावली पर दांयी ओर संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करते हुए, सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर करना चाहें।